7. राज्य सरकार द्वारा समय सयम पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी

8. विद्यालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र प्रजिकाओं में रखा जायेगो।

9. विद्यालय में अग्नि श्मन यत्र स्थापित कर अग्नि श्मन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त करे तथा विद्यालय की भूमि भवन यदि विद्यालय के नाम न हो तो विद्यालय के नाम कराये।

10. नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बंधित अभियंता से प्राप्त कर लिया जाये।

11. उकत शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के विना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

18.10.2012

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक
अलीगढ

भवदीय

(कुवर विक्रम सिंह)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष
अलीगढ मण्डल, अलीगढ

कार्यालय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ।

पृष्ठाकन संख्याः एसटी0/एन0ओ0सी0/ 2010–11 दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–

1. सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उ0प्र0 शासन, शिक्षा 7 अनुभाग, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, अलीगढ।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0, 18 पार्क रोड लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, एटा।
5. मण्डलीय सयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा।
7. प्रबंधक, सम्बधित विद्यालय।
8. गार्ड फाइल।

डा0 (अंजना गोयल)
सचिव/सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
अलीगढ।

प्रेषक,

आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ एवं अध्यक्ष
मण्डलीय समिति, अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा–परिषद, शिक्षा केन्द्र –2 समुदाय केन्द्र,
प्रीतिबिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक : एस0टी0/एन0ओ0सी0/ 4122-30 /2010–11 दिनांक 19/10/2012

विषयः <u>अलीगढ मण्डल में स्थिति माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्याः 1916 (1)/15–7–09–1 (299) में 2007 दिनांक 14.07.2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति के बैठक दिनांक 12.10.2012 में लिये गये निर्णय के अनुसार डी0के0 पब्लिक स्कूल आसपुर जी0टी0 रोड एटा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति पत्र मे अंकित निम्न प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नही है–

प्रतिबन्ध–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का विद्यालय निरीक्षक सदस्य होगा।

3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यामिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्कूल की मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्ता हो जायेंगे।

5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कमचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

6. कमचारियों के सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भांति अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।